राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 887/2013/बांसवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, डूंगरपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बांसवाड़ा सिन्टेक्स लि0,
बांसवाड़ा। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :
श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अभिषेक अजमेरा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/05/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 27/वैट /2008–09 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 10.03.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 R/w84 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 07.11.2008 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, डूंगरपुर ने मैसस पुण्या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डूंगरपुर के गोदाम का निरीक्षण किया। जिस पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के नाम से पेपर कोन अहमदाबाद से बांसवाड़ा के लिए परिवहन किये जा रहे है। माल के साथ बिल व बिल्टी थे परन्तु फार्म वैट–47 संलग्न नहीं था। जिसे धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर वाद बनाकर धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 14.11.2008 से शास्ति रूपये 25,678/– आरोपित कर दी गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त शास्ति आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी ने उक्त शास्ति को अवैधानिक मानते हुये अपास्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि फार्म वैट–47 आयात के लिए आवश्यक था। तथा चैकिंग के दौरान बिल व बिल्टी के साथ फार्म वैट–47 संलग्न नहीं था। यह धारा 76(2) सपठित नियम 53 ऑफ आरवैट रूल्स, 2006 का उल्लंघन है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति धारा 76(6) के

लगातार.....2

तहत उचित रूप से आरोपित की गयी थी। जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त करने में भूल की गयी है।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अभिषेक अजमेरा ने अपनी बहस में कथन किया कि पेपर कोन पर फार्म वैट 47 की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी वाणिज्यिक कर अधिकारी के चाहने पर उनके द्वारा नोटिस की पालना में फार्म पेश कर दिया गया था। उन्होंने आगे कथन किया कि वेट 47 की आवश्यकता इसलिये भी नहीं थी कि राज्य सरकार ने एक आदेश क्रमांक एफ12(15)वित्त/कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 द्वारा जारी किया है जिसमें ऐसी वस्तुओं के अन्तर्राज्जीय परिवहन के दौरान फार्म 47 नहीं होने पर भी उनके विरूद्ध शास्ति नहीं आरोपित की जावें। अतः आरोपित शास्ति अविधिक थी। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से उसे अपास्त किया गया है। अतः यह अपील भी अपास्त करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। आयातित माल पेपर कोन है जो कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का पैकिंग मेटेरियल है। जिस पर वैट 47 की आवश्यकता नहीं है, साथ ही राज्य सरकार का आदेश क्रमांक एफ12(15)वित्त/कर/ 2008/पार्ट–3 दिनांक 30.08.2008 दिनांक 30.08.2008 से इसकी आवश्यकता को भी जरूरी नहीं माना है तथा उसके अभाम में शास्ति आरोपित नहीं करने के आदेश दिये गये है। यही नहीं नोटिस की पालना में फार्म वैट 47 पेश कर दिया गया था। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **State of Rajasthan V/s D.P. Metal reported in 2001 (124) STC 611** से यह प्रकरण पूर्णतया आच्छादित है अतः शास्ति की देयता नहीं बनती है। जिसके फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को उचित रूप से हटाया गया है। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील भी निरस्त योग्य है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

29-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य